

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व ग्राम सूरजगढ़ की जमाबंदी भूमि ख.नं. 129, 260, 261, 262, 263 में प्रार्थी विनोद कुमार चान्दोलिया के पिता का नाम चतरूराम दर्ज है। उक्त भूमि के सहखातेदारान प्रार्थी के भाई व बहिनों के पिता का नाम चतरूराम दर्ज है परन्तु प्रार्थी के पहचान दस्तावेजात में उसके पिता का नाम घोघाराम चान्दोलिया दर्ज है। प्रार्थी के राशन कार्ड में घोघाराम उर्फ चतरूराम दर्ज है। जांच में पाया गया है कि घोघाराम व चतरूराम एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

प्रार्थी के हितो को दृष्टिगत रखते हुए उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम घोघाराम उर्फ चतरूराम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया राजस्व ग्राम सूरजगढ़ की जमाबंदी भूमि ख.नं. 129, 260, 261, 262, 263 में प्रार्थी विनोद कुमार चान्दोलिया पुत्र चतरूराम के बजाय विनोद कुमार चान्दोलिया पुत्र घोघाराम उर्फ चतरूराम चान्दोलिया दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर है

